



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 30 जनवरी, 2021
माघ 10, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या 11/2021/1290पी/6-पु-6-2020-300(64)-2016
लखनऊ, 30 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0-92

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1379पी/छ-पु-6-2019-300(64)-2016, दिनांक 21 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में-

(क)	पुलिस थाना समथर से संबंधित क्रम-संख्या 17 में, अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 और 4 की निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात्:-	
	53. छपार	मोंट
(ख)	पुलिस थाना शाहजहांपुर से संबंधित क्रम-संख्या 14 में, अनुसूची के स्तम्भ संख्या 3 और 4 की प्रविष्टि संख्या 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-	
	28. छपार	मोंट

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवरथी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/2021/1290P/VI-pu-6-2020-300(64)-2016, dated January 30, 2021 :

No. 11/2021/1290P/VI-pu-6-2020-300(64)-2016

Dated Lucknow, January 30, 2021

In pursuance of the provisions of clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1379P/VI-pu-6-2019-300(64)-2016, dated November 21, 2016.

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification :-

(a)	In serial no. 17 relating to police station Samthar, the following entries in Column nos. 3 and 4 of the Schedule shall be <i>omitted</i> , namely :-		
	53.	Chhapar	Moth
(b)	In serial no. 14 relating to police station Shahjahanpur after entry no. 27 Column nos. 3 and 4 of the Schedule the following entries shall be <i>inserted</i> , namely :-		
	28.	Chhapar	Moth

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 829 राजपत्र-2021-(1747)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 16 सा० गृह पुलिस-2021-(1748)-120 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।